



कमांक : ब्राउस/कुल./भण्डार/2022/1144

दिनांक : 30/09/2022

निविदा विज्ञप्ति (द्वितीय आमंत्रण)

विश्वविद्यालय में समय-समय पर उपयोग में आने वाली स्टेशनरी सामग्री जिसमें कार्यालयीन ऑफिस स्टेशनरी, कय किये जाने के लिए अधिकृत विक्रेताओं/फर्मों एवं सहकारी संस्थाओं से निविदा विज्ञप्ति कमांक 925 दिनांक 26.08.22 द्वारा आमंत्रित की गयी थी। निर्धारित तिथि तक पर्याप्त संख्या में निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित दिनांक से 21 दिवस के भीतर एक वर्ष के लिए दरे निर्धारण हेतु आमंत्रित की जाती है। दर निविदा के आधार पर आवश्यकतानुसार वर्ष भर सामग्रिया कय की जायेगी। निविदा की शर्तें एवं सामग्री की सूची कार्यालय से कार्यालयीन दिवस/समय में रुपये 500/- निविदा शुल्क का डी.डी. कुलसचिव, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू के नाम बनाकर विश्वविद्यालय के भण्डार विभाग में जमा कर सामग्री की सूची, प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी (निविदा की शर्तें) एवं अन्य विश्वविद्यालय के वेबसाइट <http://www.brauss.mp.gov.in> पर उपलब्ध है।

नोट :- पूर्व में जिन विक्रेता/फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत की गयी वे पृथक से निविदा प्रेषित न करें।

निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा अंतिम

कुलसचिव

दिनांक 24/10/2022 तक स्वीकार की जायेगी।

नेस & WEALTH

पत्रिका patrika.com

शुक्र, मंगलवार 4 अक्टूबर 2022

11

राफा बाजार

महू में इस समय भातमण्डू, आलू, प्याज, तरबूज, मसूर, मूंग, चने, जवारा, गन्ना, आदि सब्जियों का उत्पादन कम माना जा रहा है। सच्चासाबु एगमार्क (आधा किलो) तरबूज मसूर 311 से 321 रुपये।

प्याज की बपर आवक होने की धारणा

इससे देवी अहिर्न्यासाई सोलकर फल एवं सब्जी थोक महो में आलू-प्याज और लहसुन के भाव में मंदी बनी रही। व्यापारिक सूत्रों का कहना है कि नवरात्र बाद प्याज की बपर आवक होने की धारणा है। आगरा तरफ से मंडी में 5 गाड़ी आलू की आवक हुई। आगरा का आलू 1300 से 1500 रुपये विपटल बिकता। मंडी में प्याज की 75 हजार

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय,
डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) म.प्र.

कमांक : ब्राउस/कुल./भण्डार/2022/1144 दिनांक 30/09/2022

निविदा विज्ञप्ति (द्वितीय आमंत्रण)

विश्वविद्यालय में समय-समय पर उपयोग में आने वाली स्टेशनरी सामग्री जिसमें कार्यालयीन ऑफिस स्टेशनरी, कय किये जाने के लिए अधिकृत विक्रेताओं/फर्मों एवं सहकारी संस्थाओं से निविदा विज्ञप्ति कमांक 925 दिनांक 26.08.22 द्वारा आमंत्रित की गयी थी। निर्धारित तिथि तक पर्याप्त संख्या में निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित दिनांक से 21 दिवस के भीतर एक वर्ष के लिए दरे निर्धारण हेतु आमंत्रित की जाती है। दर निविदा के आधार पर आवश्यकतानुसार वर्ष भर सामग्रिया कय की जायेगी। निविदा की शर्तें और सामग्री की सूची कार्यालय से कार्यालयीन दिवस/समय में रुपये 500/- निविदा शुल्क का डी.डी. कुलसचिव, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू के नाम बनाकर विश्वविद्यालय के भण्डार विभाग में जमा कर सामग्री की सूची, प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी (निविदा की शर्तें) एवं अन्य विश्वविद्यालय के वेबसाइट <http://www.brauss.mp.gov.in> पर उपलब्ध है।

नोट :- पूर्व में जिन विक्रेता/फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत की गयी वे पृथक से निविदा प्रेषित न करें।

कुलसचिव

अंतिम दिनांक 24/10/2022



डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय,
डॉ. आम्बेडकर नगर (महू)

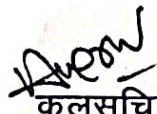
ऑफिस स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री,

निविदा की शर्तें

1. कार्यालयीन 1. ऑफिस स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री 2. कम्प्यूटर टोनर, फोटोकॉपी टोनर 3. इलेक्ट्रिकल एवं सफाई सामग्री हेतु निविदा पृथक-पृथक आमंत्रित की जाती है। प्रत्येक निविदा पर कार्यालयीन स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री, कम्प्यूटर टोनर, फोटोकॉपी टोनर, एवं इलेक्ट्रिकल एवं सफाई सामग्री हेतु पृथक-पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाना है, एवं निविदा पर सामग्री का उल्लेख स्पष्ट किया जाना होगा।
2. निविदाकार स्वयं की फर्म के स्थायी खाता क्रमांक (PAN) टीन/जी.एस.टी. पंजीयन, सेल टेक्स विलयरेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य कागजातों की सत्यापित छायाप्रतियाँ निविदा के साथ प्रस्तुत करें।
3. वर्ष 2021-22 आयकर रिटर्न संबंधी प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
4. निविदाकार अपने फर्म के स्थायी पते के लिए कृपया समस्त सम्पत्तिकर/टेलीफोन बिल/गुमास्ता लाइसेंस/नगर निगम लाइसेंस बिल/विद्युत बिल इसमें से कोई भी एक प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अधिकृत विक्रेताओं को इस आशय का अधिकृत प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
6. निविदा प्रपत्र में सामग्री की दर एवं कर दर्शाते हुए उसका योग भी अनिवार्य रूप से दर्शाए। दरें दर्शाते समय यह विशेष रूप से ध्यान रखे कि सभी प्रकार के करों का समावेश कर लिया गया हो अतः दर एवं कर पृथक पृथक दर्शा कर उनका योग भी दर्शाए। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी कर सामान्यतः देय होते हैं उनका स्पष्ट उल्लेख किया जाकर निविदा पत्रक में राशि का दर्शाना आवश्यक है। दर्शाई गई दरें, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासकीय परिसर स्थित भण्डार विभाग में सामग्री पहुंचाने एवं उसे भंडार भवन में व्यवस्थित रखने तक के समस्त व्यय को सम्मिलित कर दी जाये।
7. निविदा के साथ किसी प्रकार की कोई शर्तें मान्य नहीं होगी।
8. निविदा के अनुसार वित्तीय बिड के वांछित सामग्री की अनुमानित आवश्यकता की दरों को विश्वविद्यालय द्वारा नियमान्तर्गत स्वीकृत किया जाने के पश्चात स्वीकृत दरें एक वर्ष के अवधि के लिये लागू रहेगी। इस संबंध में सफल निविदाकर्ता एवं विश्वविद्यालय के मध्य अनुबंध किया जावेगा तथा दोनों पक्षों की सहमति से अनुबंध को एक वर्ष ओर वर्ष बढ़ाया जा सकेगा।
9. सामग्री की आपूर्ति विश्वविद्यालय से आदेश देने के तीन दिनों के भीतर प्रदाय करना आवश्यक होगा।
10. विश्वविद्यालय द्वारा जिस प्रकार की स्टेशनरी एवं सामग्री की मांग की गई है वही प्रदाय की जाना अनिवार्य है। वस्तु के मेक एवं साईज का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। साथ ही सामग्री का नमूना संलग्न हो। निविदा की वांछित गुणवत्ता के अनुसार प्रस्तुत सामग्री को नमूनों की गुणवत्ता परीक्षण करने के पश्चात ही निविदा स्वीकृत की जावेगी। सामग्री के नमूने प्राप्त न होने के स्थिति में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि स्वीकृत दर वाली फर्म निर्धारित अवधि में स्टेशनरी एवं सामग्री प्रदाय नहीं करती है तो फर्म की जमा सुरक्षा राशि जप्त की जाकर फर्म को 05 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट में कर दिया जायेगा।
11. निविदा प्राप्ति के समय पृथक-पृथक निविदा शुल्क राशि रुपये 500/- का डिमान्ड डाफ्ट भण्डार विभाग में जमा कर, सामग्री की सूची एवं अन्य शर्तें प्राप्त करेंगे।

[Signature]

12. प्रत्येक निविदा के साथ सुरक्षा निधि हेतु राशि रूपयें 10000/- का डिमान्ड डाफ्ट, कुलसचिव, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) के नाम से देयक होगा, जिसे निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें। उपरोक्त राशि प्रथम कय आदेश जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समयावधि में आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार वापस की जा सकेगी। जिस फर्म की निविदा स्वीकृत नहीं हो पाती उन्हें जमा सुरक्षा राशि वापिस लेने की अवधि एक वर्ष है। फर्म द्वारा निर्धारित अवधि में राशि वापिस न लेने पर जमा सुरक्षा राशि जप्त हो जावेगी।
13. निविदाकार का उस सामग्री का व्यापारी होना एवं उस सामग्री विक्रय करने का गुमास्ता लाइसेन्स होना आवश्यक है, जिस निविदा में वह भाग ले रहा है।
14. सुरक्षा निधि का डी.डी. निविदा के साथ प्राप्त न होने की दशा में निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
15. निविदा कि दरों में एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. प्रतिशत कि राशि सम्मिलित नहीं होगी, जिसे पृथक से दर्शाना होगा। सामग्रियों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
16. विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य करना होगा।
17. निविदाएं सीलबंद लिफाफे में कुलसचिव, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) को विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से निर्धारित तिथि/21 दिवस के भीतर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा स्वीकार की जावेगी। डाक व्यवस्था में विलम्ब के लिये विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। निविदा अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त किये गये किसी भी प्रपत्र को प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा।
18. निविदा प्रपत्रों एवं संलग्न प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मुहर लगाकर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मुहर एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे मान्य नहीं किया जायेगा।
19. निर्धारित निविदा प्रपत्र राशि व निर्धारित सुरक्षा निधि जमा न करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
20. निविदाकर्ता को अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
21. निविदाएं प्राप्त होने के बाद निविदाकर्ता को निविदा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
22. स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गयी सुरक्षा निधि राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
23. किसी भी संस्था द्वारा फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किए जाने का प्रमाण पत्र।
24. निविदा भरे जाने का अर्थ होगा कि निविदाकार को निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। निविदा प्राप्त होने के बाद निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन परिवर्तन मान्य नहीं होगा। किसी भी फर्म की पूर्ण निविदा अथवा उसके किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार कुलसचिव, ब्राउस को रहेगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मान. कुलपति जी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जावेगा तथा उनका निर्णय सर्वमान्य होगा।
25. उपरोक्त शर्तों का पालन न होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी निविदा निरस्त करते हुए सुरक्षा निधि का राजसात कर लिया जावेगा।
26. न्यायालयीन विवाद की स्थिति में प्रकरण न्यायालयीन क्षेत्राधिकार डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), जिला-इन्दौर मध्यप्रदेश का होगा।


कुलसचिव